# The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 619]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 27, 2009/कार्तिक 5, 1931

No. 619]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2009/KARTIKA 5, 1931

# कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2009

सा.का.नि. 783(अ).—केन्द्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 96 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- इस नियम का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (द्वितीय संशोधन) नियम, 2009 है ।
- 2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें।
- 3. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 के नियम 24 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :---
- "24. धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन वर्तमान पौधा किस्मों का रिजस्ट्रीकरण.-(1) रिजस्ट्रार विनियमनों के अधीन यथाअधिकथित विलक्षणता, एकरूपता और स्थायित्व संबंधी मापदण्ड की अनुरूपता के अधीन रहते हुए, रिजस्ट्रीकरण के लिए पात्र जाति एवं प्रजाति के संबंध में अधिनियम के अधीन इसकी अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष के भीतर कृषक के प्रत्येक किस्म, जो कि वर्तमान किस्म है, को रिजस्टर करेगा।
- (2) रिजस्ट्रार विनियमनों के अधीन यथा अधिकथित विलक्षणता, एकरूपता और स्थायित्व संबंधी मापदण्ड की अनुरूपता के अधीन रहते हुए रिजस्ट्रीकरण हेतु पात्र जाति एवं प्रजाति के संबंध में अधिनियम के अधीन इसकी अधिसूचना की तारीख़ से तीन वर्ष के भीतर अन्य वर्तमान किस्म को रिजस्टर करेगा:

परन्तु रजिस्ट्रार लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से कृषकों की किस्म और अन्य वर्तमान किस्म को यथास्थिति पांच वर्ष या तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् रजिस्टर कर सकेगा।"

[फा. सं. 2-1/2009/एसडी-V]

उपमा चौधरी, संयुक्त सचिव

टिप्पण:—मूल नियम, तारीख 12 सितम्बर, 2003 के सा.का.नि. 738(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गये थे और तत्पश्चात् तारीख 30 सितम्बर, 2004 के सा.का.नि. 843(अ) और तारीख 14 अक्तूबर, 2008 के सा.का.नि. 731(अ) और तारीख 11 मई, 2009 के सा.का.नि. 319(अ) द्वारा संशोधित किया गया।

### MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2009

- G.S.R. 783(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 96 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003, namely:—
- 1. These rules may be called the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (Second Amendment) Rules, 2009.
  - 2. They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
- 3. In the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003, for rule 24, the following rule shall be substituted, namely:—
  - "24. Registration of extant plant varieties under sub-section (2) of Section 15.—(1) The Registrar shall register every farmers' variety which is an extant variety within five years from the date of its notification under the Act, with respect to the genera and specie eligible for registration subject to conformity to the criteria of distinctiveness, uniformity and stability as laid down under the regulations.
  - (2) The Registrar shall register other extant variety within three years from the date of it notification under the Act with respect to the genera and species eligible for registration subject to conformity to the criteria of distinctiveness, uniformity and stability as laid down under the regulations:

Provided that the Registrar may, for reasons to be recorded in writing register a farmers' variety and other extant variety after the expiry of the said period of five years or three years as the case may be."

[F. No. 2-1/2009/SD-V]

UPMA CHAWDHRY, Jt. Secv.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, vide G.S.R. 738(E), dated the 12<sup>th</sup> September, 2003 and subsequently amended vide G.S.R. 843(E) dated the 30<sup>th</sup> December, 2004 and G.S.R. 731(E) dated the 14<sup>th</sup> October, 2008 and G.S.R. 319(E) dated the 11<sup>th</sup> May, 2009.